(d) and (e) Amount collected are to be used as per the provision of Drug (Prices Control Order, 1979.

Action against Drugs Companies

2602. SHRI RAFIQUE ALAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Starred Question 13 given in the Rajya Sabha on the 27th July, 1987 and state:

(a) what are the details of the action to be taken against drug companies by his Ministry according to the decision of the Supreme Court.

(b) whether the Supreme Court has stipulated any time period for such action;

(c) if so, what are the details thereof;

(d) whether the actions required have been taken as per the time period directed by the Supreme Court; and

(e) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) to (e) The Supreme Court dismissed the writ petitions filed by the companies simultaneously directing the Government to dispose of the review petitions filed by such companies against the prices fixed by the Government for the concerned bulk drugs and formulations after giving a hearing to these companies within 8 weeks of the date of the judgement and thereafter to fix the prices within two weeks of the conclusions of the hearings. Necessary hearing has been given to the companies concerned, review petitions decided and process of recoveryy is on.

उड़ीसा में एल०पी०जी० गैस कनक्शन

2603. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एल० पी० जी० गैस कनेक्शनों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है यदि हां, तो मांग के जिले-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) अब तक प्रत्येक जिले में कितने एल० पी० जी० गैस कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं ; और

(ग) एल० पी० जी० गैस कनेक्शनों की मांग को विशेषकर जनजातिय बहुल्य जिलों में पूरा करने के लिए क्या भावी कार्यक्रम है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1985–86 से 1991–92 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों की एल०पी०जी० की सम्भावित मांग का अनुमान लगाने के लिए तेल उद्योग की ओर से 1984–85 के दौरान नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकनामिक रिसर्च ने एक सर्वेक्षण किया था । यह पूरे राज्य की मांग का मूल्यांकन है ।

(ख) प्रत्येक जिले में उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है :—

जिला	उपभोक्ताओं की संख्या
1	2
गंजम	16.802
बालांगिरी	5,892
बालाशोर	3,894
बालेश्वर	2,589
मयूरभंज	1,266
पुरी	31,390
सम्बलपुर	12,904

1	2
कटक	20,665
धनकनाल	6.875
किरापुट	10,374
क्योंझर	1,777
फुलबानी	521
सुन्दरगढ़	19,351
कालाहांडी	2,589

(ग) तेल उद्योग 20,000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को चरणबद्ध रूप से हाथ में ले रहा है बशर्ते कि वहां आर्थिक रूप से वितरण शिप खोलने के लिए पर्याप्त तत्व हों।

मयूरभंज में नई एल० पी० जी० एजेंसिया

2604. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा मयूरभंज जिले में नये घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने के लिए नई एल० पी० जी० एजेंसियों की स्वीकृति हेतु उनके मंत्रालय की स्वीकृति हेतु उनके मंत्रालय को अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान मयूरभंज जिले में कुल एल० पी० जी० एजेंसियों की स्वीकृत देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) बाडीपाड़ा में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के बारे में एक अनुरोध दिसम्बर, 1986 में प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) मयूरभंज जिला कम जनसंख्या वाला क्षेत्र हैं, सिवाय बाडीपाड़ा के जिसकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के आधार पर 52,992 थी, जिले के अन्य तीनों महत्वपूर्ण शहरों यथा रायरंगपुर, कर्णजिया, और उडाला की जनसंख्या 20,000 से कम हैं। बाडीपाड़ा जिला मुख्यालय हैं जहां पहले से ही एल० पी० जी० का विपणन किया जा रहा हैं। उपर्युक्त अन्य स्थानों पर विपणन क्षमता के कम होने के कारण स्वतंत्र एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विकास

2605. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हाथ में ली जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नये विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है और उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी होगी; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य की सातवीं योजना में मूल अनमोदित परिव्यय (लाख रु०)
1		2	3
1. स्कीमें जिनसे सातवीं योजना में लाभ प्राप्त होगा			
1.	मनेरी–दोप (जल विद्युत)	304	14000
2.	धनपारा "क" (ताप विद्युत)	630	15717